## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
### पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 : 157/2020(2020/00214)

अनवान :

1. भूपसिंह पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. मोनिका रानी पत्नी मनीष पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल निवासी माखुसरानी तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा
3. मंजू रानी पत्नी विक्रम पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
4. मेनका रानी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– वकील श्री श्रवण सहारण I: वादी
श्री श्रवण सहारण II : प्रतिवादीगण

**निर्णय** दिनांकः 13/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव नेठराना के चक 2 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 69/67 के मु0नं0 33 के किला नं0 21 से 25 की 1.265 है0, मु0नं0 41 के किला नं0 6, 7 की 0.506, किला नं0 14 ता 17 की 1.012 है0, किला नं0 24, 25 की 0. 506 है0 कुल 2.024 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 1 ता 5 की 1.265 है0, किला नं0 7 ता 13 की 1.771 है0, किला नं0 18 ता 23 की 1.518 है0 कुल 4.554 है0 मु0नं0 55 के किला नं0 1 ता 3 की 0.759 है0, किला नं0 8 ता 10 की 0.759 है0 कुल 1.518 है0 मु0नं0 56 के किला नं0 4 ता 7 की 1.012 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 10.373 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम के नाम 160 हिस्सा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:02 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पूर्व में कासीराम की खातेदारी हुआ करती थी। कासीराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी नत्थुराम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी नत्थुराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी नत्थुराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है जो बाद तरदीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया है।

साक्ष्य वादी में वादी भूपसिंह पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पंचायत नेठराना द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 बीआरडब्ल्यु सम्वत् 2075—78 खाता सं0 69/67 प्रदर्श 2, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 2 बीआरडब्ल्यु सम्वत् 2058 से 62 खाता संख्या 13/10 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा उभयपक्षकारान बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 2 बीआरडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी दादालाई कृषि भूमि है तथा प्रतिवादी सं0 1 नत्थुराम को अपने पिता कासीराम व माता मोहरा देवी की मृत्यु के बाद विरासतन प्राप्त हुई जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 2 बीआरडब्ल्यु सम्वत् 2058 से 62 प्रदर्श 3 करवाये जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा कासीराम वल्द जगुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 सदस्य प्रमाण पत्र में नत्थुराम के वारिसान में दावा में वर्णित पक्षकारानों के अलावा अन्य कोई वारिस नही है। प्रतिवादिया सं0 2 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष त्याग देना अपने राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा [illegible] जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा [illegible] नेठराना के चक 2 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 69/67 [illegible] नं0 21 से 25 की 1.265 है0, मु0नं0 41 के किला नं0 6, 7 की 0.506, किला नं0 1[illegible] ता 17 की 1.012 है0, किला नं0 24, 25 की 0.506 है0 कुल 2.024 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 1 ता 5 की 1.265 है0, किला नं0 7 ता 13 की 1.771 है0, किला नं0 18 ता 23 की 1.518 है0 कुल 4.554 है0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0स0 157/20 अनुवान भूपसिंह बनाम नत्थुराम आदि अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

मु0नं0 55 के किला नं0 1 ता 3 की 0.759 है0, किला नं0 8 ता 10 की 0.759 है0 कुल 1.518 है0 मु0नं0 56 के किला नं0 4 ता 7 की 1.012 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 10.373 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम के नाम 160 हिस्सा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है को **मुताबिक राजीनामा वादी भूपसिंह 0.8995 है0 कृषि भूमि का व प्रतिवादी सं0 1 नत्थुराम को 1.1245 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** चूंकि प्रतिवादिया सं0 2 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने पर बैंक रहन को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर यथावत रखते हुए वाद कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:02 IST
Reason: SelfAttested